न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 13/2020

दायर दिनांक 13.03.2020
निर्णय दिनांक 08.03.2021

नाना पिता काउडा भगोरा, जाति आदिवासी, उम्र 60 वर्ष निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1 गौतमा पिता काउडा भगोरा, जाति आदिवासी निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर
2 सम्पी पत्नि गौतमा भगोरा जाति आदिवासी निवासी गुन्दलारा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर
3 भूमिधारी तहसीलदार, तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)आवंटन नियम 1970

उपस्थित:— श्री प्रवीण शुक्ला, एडवोकेट प्रार्थी
श्री संजीव भटनागर, एडवोकेट, विपक्षी सं. एक व दो
राजकीय पेरोकार, विपक्षीगण सं. तीन की ओर से

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी सं. एक आपस मे भाई है तथा पिता द्वारा अपने खाते व कब्जे की भूमि समस्त पुत्रों मे बांट दी थी। मौजा गुन्दलारा के खसरा नम्बर 682 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा होने से 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी को 30—35 वर्ष पूर्व काबिज कराया गया, कच्चा मकान भी बना हुआ था जिसको गिराकर नया बनाए जाते समय जानकारी हुई की कब्जे शुदा भूमि को विपक्षी के द्वारा आवंटन कराया गया है। खसरा नम्बर 682 की एक बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आवंटन गलत जानकारी देकर धोखे से कराया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी की गई। विपक्षी सं. एक व दो की ओर से अपना जबाब प्रस्तुत किया गया विपक्षी सं. तीन की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

विपक्षी सं. एक व दो की ओर प्रस्तुत जबाब के अनुसार अंकित किया गया कि आवंटन शुदा भूमि पर श्री काउडा का कभी कब्जा नही रहा है तथा आवंटन शुदा भूमि पर उत्तर दाता का कब्जाकाश्त है। प्रार्थी विस्तार वादी प्रवृति का व्यक्ति है तथा भूमि खरीदना चाहता था जिसको इंकार किए जाने पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया। जिस पर उपखण्ड न्यायालय सीमलवाडा मे एक वाद दिनांक 23.12.2019 को पेश किया गया जो लम्बित है। उत्तरदाता का शांतिपूर्ण कब्जा है। आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। कब्जा विपक्षी सं. एक व दो का होकर उसके द्वारा ही भूमि पर काश्त की जाती आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सही रूप से भूमि का आवंटन किया गया है एवम् अन्य कथन अपने जबाब मे अंकित किए है। ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

प्रकरण मे न्यायालय द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान् के दस्तावेजात, उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अपने–अपने अभिवचन का अवलोकन एवम् मनन किया गया, मौका रिपोर्ट पर गौर किया गया एवम् उभय पक्षों की बहस समायत की गई।

प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से दस्तावेज आवंटन हेतु आवेदन पत्र, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट, गोतमा पिता काउडा को आवंटित भूमि का नक्शा दिनांक 17.7.2002, निर्णय भूमि आवंटन सलाहकार समिति मिसल संख्या 1063 दिनांक 15.6.2002, जमाबंदी सवंत् 2075–2078 दिनांक 05.2.2020 एवं दिनांक 04.3.2020 प्रस्तुत हुए है तथा इसी प्रकार विपक्षी की ओर से दस्तावेज जमाबंदी सवंत् 2075–2078 दिनांक 05.2.2021 एवं दिनांक 02.3.2021 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा में प्रस्तुत वाद पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत हुए है।

विद्वान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 682 की एक बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त करने का कथन किया गया। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आवंटन यथावत रखने की मांग की।

प्रकरण मे विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी आवंटन निरस्त कराने का अधिकारी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested

सम्पूर्ण पत्रावली को देखने से प्रार्थी की यह बात कि उपरोक्त भूमि पर उसके पिता काउडा का कब्जा काश्त रहा है। इस संबध मे कोई भी दस्तावेज रेकार्ड पर पेश नही किया गया है तथा प्रकरण को देखने से ऐसा भी प्रतीत नही हो रहा है कि आवंटन गलत तथ्यों या धोखे से कराया गया हो। प्रकरण मे विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट से भी विपक्षी गोतमा का मकान मौके पर पाया गया है तथा मौका रिपोर्ट मे यह भी अंकित है कि प्रार्थी नाना द्वारा ईट व पत्थर डाले हुए है। लेकिन मात्र अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ईट पत्थर यदि डाल भी दिए जाते हैं तो आवंटन निरस्त करने का आधार नही हो सकता है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी द्वारा जो उपखण्ड न्यायालय में वाद पेश किया गया है। वह वाद इस प्रार्थना पत्र से पूर्व का है यानि जब प्रार्थी मौके पर निर्माण हेतु सामग्री डालने गया तब विवाद का प्रारंभ हुआ है ना कि पूर्व से कोई निर्माण मौके पर प्रार्थी का था। ऐसी परिस्थिति मे मैरे विनम्र मत में मैं यह पाता हूँ कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा विपक्षी का आवंटन यथावत् रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 8.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:31:00 IST
Reason: SelfAttested